

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम सोहनलाल पुत्र हनुमानराम जाति मेघवाल निवासी सिंधपुरा (हीराणी)

प्रा.पत्र नम्बर 113/2022

GCMS No.2022/225

तारीख हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख में  
जारी हुए

22/7/2022

अप्रार्थी सोहनलाल पुत्र हनुमानराम मेघवाल सिंधपुरा (हीराणी) एवं उनके अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर चौधरी के द्वारा प्रार्थना-पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3471/3468 रकबा 0.4854 हैक्टर खातेदारी में स्थित है, अप्रार्थी की भूमि आई हुई है, उपरोक्त भूमि प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी के प्रारूप-11क्रमांक/न. पा.कु./भूमि/2019-20/6699 दि. 11.09.2019 के आवासीय प्रयोजन आदेश जारी हो चुके हैं जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की है, उक्त आदेश अनुसार नामान्तरकरण तहसील स्तर पर दर्ज होने से शेष रहा है, तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 24.06.2022 को एक-पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरान की भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थीगण द्वारा दर्ज कराकर आगे की कार्यवाही की जाना शेष है, प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने-अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं शपथ पत्र एवं प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी के प्रारूप-11क्रमांक/न.पा.कु./भूमि/2019-20/6699 दि. 11.09.2019 के आवासीय प्रयोजन का अवलोकन किया गया, प्रथम दृष्टया मामला सुवधि का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.06.2022 एवं प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)